

F. No. A-50013/176/2019-प्रशा.

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

\*\*\*

श्रम शक्ति भवन, रफ़ी मार्ग

नई दिल्ली, दिनांक 01 अप्रैल, 2022

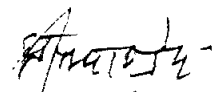
कार्यालय आदेश सं. 167/2022

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति द्वारा श्री अजीत कुमार एम० आर०, प्रधान निजी सचिव (सेवा-निवृत्त), की जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के सचिव कार्यालय में सलाहकार (कंसल्टेंट) के रूप में संविदा के आधार पर 1 वर्ष के लिए रु 46,900/- प्रति माह के अपरिवर्तनीय मानदेय पर दिनांक 01.04.2022 से नियुक्ति की जाती है।

2. सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति के मुख्य नियम और शर्तें निम्नानुसार होंगी :-

- परामर्श (कंसल्टेंसी) की अवधि 1 वर्ष के लिए होगी या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो।
- परामर्श की अवधि के दौरान रु 46,900/- प्रति माह का समेकित शुल्क (कोई महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, अन्य भत्ते रहित) स्वीकार्य होगा।
- आधिकारिक यात्रा के लिए यात्रा भत्ता इत्यादि को सेवानिवृत्ति कि तिथि पर पात्रता के अनुसार सामान्य नियमों के अनुरूप अनुमन्य किया जायेगा।
- कंसल्टेंट एक कलेंडर वर्ष में 8 दिनों कि छुट्टी के लिए प्रो-राटा आधार पर पात्र होगा।
- अन्य नियम और शर्तें, नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार लागू होंगी जो इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. A-12034/01/2015-Admn. दिनांक 9 जून, 2017 के साथ साथ भारत सरकार कि मौजूदा निर्देशों के द्वारा शासित होंगी।
- नियम और शर्तों आदि की व्याख्या से सम्बंधित किसी भी संदेह की स्थिति में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

3. यह व्यय वर्ष 2022-23 के लिए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की डिमांड सं. 62 के तहत 3451.00.090.16.01.28-प्रोफेशनल सर्विसेज (नॉन-प्लान) हेड के तहत देय होगा।



(एस० बी० पांडेय)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 23738126

प्रति लिपि :

- सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण) के प्रधान निजी सचिव।
- रोकड़ अनुभाग (2 प्रतियाँ), जल संसाधन, नदी विकास, एवं गंगा संरक्षण विभाग।
- वेतन और लेखा अधिकारी, जल संसाधन, नदी विकास, एवं गंगा संरक्षण विभाग।
- श्री अजीत कुमार एम० आर०, प्रधान निजी सचिव (सेवा-निवृत्त), कंसल्टेंट, जल संसाधन, नदी विकास, एवं गंगा संरक्षण विभाग।
- सामान्य प्रशासन/ सतर्कता अनुभाग, जल संसाधन, नदी विकास, एवं गंगा संरक्षण विभाग
- हिंदी अनुभाग, जल संसाधन, नदी विकास, एवं गंगा संरक्षण विभाग
- मंत्रालय का इन्टरनेट